प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख्य पत्र

अक्टूबर 2025 • वर्ष–विंशति (21) • अंक 10 • मूल्य : 10 • वार्षिक मूल्य : 120 ₹

शिक्षा वर्ग JCM-I, JCM-II, & JCM-III
का शुभारम्भ करते कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह (AUDITOR / BPMS)

शिक्षा वर्ग JCM-I, JCM-II, & JCM-III
का समापन करते भारतीय मजदूर संग के अध्यक्ष श्री हिरण्मय पंडया

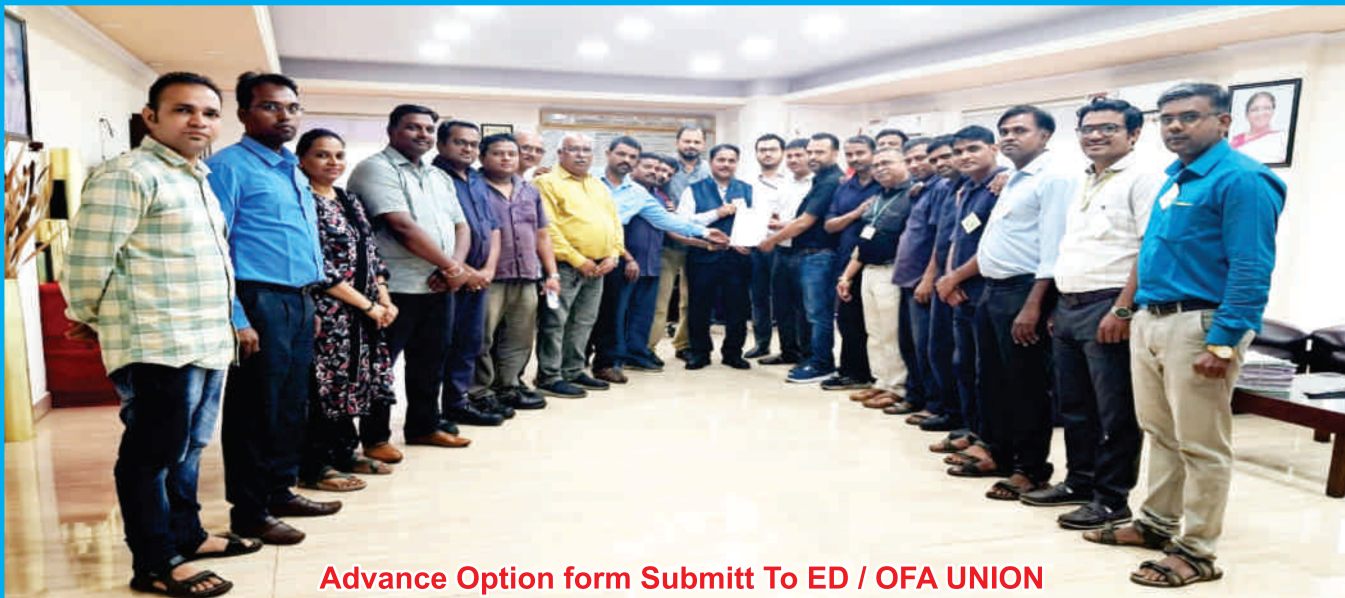

Advance Option form Submitt To ED / OFA UNION

MES Karmachari Sangh, CWE (A) Secunderabad has organize mitting with fedration Leader BPMS

Southern Naval Command Civilian Employees Organization (SNCCEO) protest agains PLB bonus from 40 to 33 Days.

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

मित्रो नमस्कार।

प्रतिरक्षा भारती के इस अंक को लिखते समय कुछ अपने मन की बात या यह भी कह सकते है कि मन की व्यथा आप सभी के सामने रखें। अपने कार्यकर्त्ता बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे है कम से कम अपने लोगों में झूठ नहीं बोलते अपनी सच्चाई कमजोरी सब कुछ स्पष्ट कर देते है यह खुशी की बात है। अब अपनी व्यथा भी बता दें कानपुर में अपने JCM3 से लेकर JCM2 और JCM 1 के कार्यकर्त्ताओं का अभ्यास वर्ग था। मैंने एक प्रश्न किया कि अपनी प्रतिरक्षा भारती का पब्लिकेशन हो रहा है कितने लोग प्रतिरक्षा भारती को ऑनलाइन पढ़ते है। बड़ी सच्चाई स्वीकार की और बताया कि कोई नहीं पढ़ता।

जबाब सुनकर मुझे तथा अन्य लोग जो इस पत्रिका को प्रकाशित करने में योगदान देते है उनको कितना कष्ट हुआ होगा अंदाज लगाएं। सभी बन्धुओं से निवेदन है कि इस पत्रिका को पढ़कर संगठन के लिये लाभ उठाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयो के बारे में छपता है। मित्रों जब पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ मान्यवर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जीवित थे। पत्रिका के प्रकाशन की अनुमति देते समय कहा था कि इसी शर्त पर अनुमति देंगे कि प्रकाशन बीच में बंद न हो। हम सब उनको दिए गए वचन के प्रति प्रतिबद्ध है और महासंघ लगातार ई–पब्लिकेशन के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचा रहा है। पत्रिका में लेटेस्ट Govt. आर्डर छपते है। कर्मचारियों से सम्बंधित कोर्ट केश अन्य पालिसी भी प्रकाशित होती है। हम न तो कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे है और न संगठन के बारे में। सम्पादकीय लेख में समसामयिक जानकारी होती है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि पत्रिका को पूरा पढ़ें और आवश्यक जानकारी कार्यकर्त्ताओ तक पहुंचाए।

मित्रों आप सभी को सितंबर माह में ही अवगत करा दिया गया था कि केंद्र सरकार को एक बार फिर डीम्ड डेपुटेशन बढ़ाना ही पड़ेगा और फिर से 30 सितंबर 2026 तक डीम्ड डेपुटेशन बढ़ने के आर्डर भी हो गए। आप सभी ने कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराकर एक संदेश दिया है कि कर्मचारी PSU में नहीं जाना चाहता वह सरकारी कर्मचारी ही रहना चाहता है। इसी प्रकार एकता का परिचय देते रहिये सरकार को till to retirement कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना ही होगा।

मित्रों एक लंबे इंतजार के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी। हम लोग चाहते थे कि आठवें वेतन आयोग का गठन जल्दी हो जाय और 1जनवरी 2026 से कर्मचारियों को वेतनमान और भत्ते मिलने शुरू हो जाएं लेकिन सरकार ने बहुत चालाकी दिखाते हुए 18 माह में रिपोर्ट देने की अधिसूचना जारी की मई 2027 तक रिपोर्ट देने को नोटिफाइड किया। यह आवश्यक नहीं है कि 18 माह में रिपोर्ट दे ही दे और भी समय बढ़ सकता है। जितना अधिक समय लगेगा उतना ही भत्तों के भुगतान में देरी होगी अर्थात 1 जनवरी 2026 से भत्तों का मिलना असम्भव प्रतीत हो रहा है। हम सभी को आठवें वेतन आयोग से क्या अपेक्षा है हम क्या चाहते है यह महासंघ को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि OPS पुरानी पेंशन स्कीम से जो लोग पेंशन पा रहे है उनको आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा यह कहना उचित नहीं है अधिसूचना से स्पष्ट है कि सरकार NPS और UPS अर्थात जो कट्रीब्यूट कर रहे है उनको ग्रेच्युटी डेथ ग्रेच्यूटी की समीक्षा कर सिफारिश करने को कहा है तो वहीं जो कट्रीब्यूट नहीं करते उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के लिये भी समीक्षा करने और सिफारिश करने को कहा है। हमें आठवें वेतन आयोग के लिये काफी संघर्ष करना पड़ेगा। जो टर्म्स और रेफरेंस मेख है वह सभी वेतन आयोगों में रहता है। देश की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाय पेंशनधारियों पर खर्चे का ध्यान रखने। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेरिजन आदि यह तो पहले भी TOR में आता रहा है। लेकिन जो स्थितियां है उसमें बहुत उम्मीदें रखना ठीक नहीं है फिर भी हमें मेहनत करके अपना मेमोरेंडम तैयार करना होगा। सभी इस कार्य में सहभाग करें ऐसी महासंघ की अपेक्षा है। ❐

दत्तोपंत ठेंगड़ी (जीवन दर्शन)

– सभार

खण्ड 9 जीवन दर्शन

इस दृष्टि से संविधान–सभा में 5 फरवरी 1950 को दिया गया उनका महत्त्वपूर्ण भाषण अध्ययन एवं मनन योग्य हैं। उसमें उन्होने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि ''भारत शताब्दियों बाद स्वाधीन हुआ है।'' हम केवल 150 वर्ष गुलाम थे– पं नेहरू की यह मान्यता उन्हें पूर्ण रूप से अस्वीकार थी । अब स्वराज्य की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य हैं। अपने समाज मे किसी प्रकार की फूट पुनः हमसे कुछ विकृतियाँ ऊँच–नीच भेद, आर्थिक विषमता , जतिवाद आदि उत्पन्न हुए हो सकते हैं, परन्तु इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी हमारे स्वत्वो का अपहरण करना चाहेंगे तो हम उसे सहन नहीं करेंगे । हम उनकी यह आकाँक्ष मिट्टी में मिला देंगे । यह हमारा धरेलू मामला हैं।, इसलिए हम इससे आपस में निबटेंगे । अपने लाभ मात्र या सामजिक दृष्टि से अनवत स्थिति से निकलने की इच्छा से हम विदेशियों के हस्तक नहीं बनेंगे । हमें अपने में उत्पन्न होने वाले जयचन्दों सावधान होगा । अपने जिस राष्ट्र व समाज के हम अंग – उपांग है, उसके हित को ठीक प्रकार से पहचानें।''

दो महापुरुष – दो दृष्टिकोण

पथभ्रष्ट, अहंकाररूढ़ सवर्ण हिन्दू बंधुओ के हृदय–परिवर्तन करने का उन्होनं बहुत बहुत प्रयत्न किया उन दिनों यह काम एक और भी महापुरूष अपने विशेष ढंग से कर रहे थं। वे थै पूज्य महात्मा गांधी। उनकी प्रमाणिकता, निष्ठा, असीम प्रयत्नशीलता तो उनके विरोधियों में भी शंका से परे थीं। उन्होंने भी शब्द का नव मूल्यांकन करने के लिण स्वयं को भंगी बताया, उन्हीं के मुहल्ले – मकानों में ठहरना, खाना–पीना प्रारंभ किया। समाज के नासमझ स्वयंभू नेताओ ने जिन्हें अस्पृश्य कहा था, महात्मा जी ने उन्हें हरिजन कहा । यद्यपि भड़काने वाले निहित स्वार्थी नेता विद्यामान थे फिर भी इन दोनों महापुरूषों प्रयत्नो के फलस्वरूप यह दलित–पीड़ित वर्ग विक्षुब्ध होते हुए भी अपनी सामजिक, आर्थिक, उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहा। साथ ही इन महापुरुषों के प्रयत्नो के परिणामस्वरुप ही अपना विवेक न खोते हुए उतने अत्याचार सहे, पर अपने हिन्दू समास के प्रति आत्मीयता में कमी न आने दी ।

वैसे यह बात अलग है कि इन दोनो के विचार पूरी तरह आपस में न मिलते हों । डा. अंबेडकर हरिजन शब्द–प्रयोग के विरुद्ध थे। महात्मा जी की सदाशयता को स्वीकार करने के बाद भी वे अनुभव करते थे कि 'हरिजन ' हीनता का ही दूसरा नाम हैं। 'हरिजन' नाम देने के लिए स्वर्ण अपने को सदैव उपकारकर्ता ही मानते रहेंगे । अतः परस्पर भेद तथा उच्च – नीचता की बात तो बनी ही रही । यह स्थिति अत्यन्त अपमाजनक है, ऐसा वे मानते थे । अतः उन्हे इस हरिजन नामभिधान से अत्यन्त चिढ़ है, ऐसा वे मानते थे। अतः उन्हे इस हरिजन नामभिधान से अत्यन्त चिढ़ थी। महात्मा गांधी और डा. अम्बेडकर दोनों के प्रयत्नों का लक्ष्य समान होने पर भी भूमिका एवं प्रक्रिया (approach) भिन्न थी। दोनों महान थे। परन्तु एक का प्रयास बाहर से था तो दूसरा स्वंय भुक्तभोगी होने के कारण स्वानुभव से उत्पन्न कसक से ममहित होकर प्रयत्नरत था।

इतना होने पर भी श्रद्धेय बाबा साहब प्रतिक्रिया की भावनं से सर्वथा अलिप्त थे। महात्मा जी का प्रयास मानवीय भावना से प्रेरित था। जैसे अमेरिका में नीग्रो लोगों के उद्धार के लिए किये जाने वाले प्रयासो में लिंकन का स्थान था। परन्तु डा. अम्बेडकर का प्रयास बूकर टी वाशिंगटन मर्टिन लूथर किंग के समान था महानता में समान होने पर भी दोनों की भुमिका में उनकी स्वंय की भिन्न स्थिति के कारण अंतर था– वैसे ही भारत में भी दोनो की भावनाओं को मिले शब्दो के रूप में भिन्नता होने पर भी उनकी अपने समाज के प्रति समान आत्मीयता थी ।

दृढ़ निर्णय

बाबा साहब अपने बधुओ की दीनहीन स्थिति में परिवर्तन तो लाना चाहते थे, परन्मु अपने हिन्दू समाज में भी किसी प्रकार का विघटन उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे। वे एक ऐसे पंथ की कल्पना कर रहे थे जहाँ पीड़ित बांधवे को सामजिक समानता तो मिले, पर साथ ही उनकी भारत–भक्ति भी अविचल बनी रहे। यह उनके चिंतन की दिशा थी उनकी इस दुविधा को समझकर विविध पंथो के नेताओं ने उनके ।पास चक्कर काटना प्रारंभ किया । ईसाई पादरी, मुसलमान मौलवी, बौद्व भिक्षु अदि उन्हें घेरने लगे । पादरियों और मौलवियों ने तो अपनी पंरपरा के अनुसार देशी–विदेशी सभी प्रकार के जोर आजमाना प्रारंभ किए। परन्तु उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बाबासाहब को आकर्षित न कर सकी।

मुसलमान या ईसाई बनने में उन्हें क्या आपत्ति है, यह उनसे पूछा भी गया । इस प्रश्न के उत्तर में उन्होने जो कुछ

भी कहा वह जहाँ उनकी गया। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होने जो कुछ भी कहा वह जहाँ उनकी प्रखर राष्ट्रवादी दूरदर्शिता का परिचायक है, वहीं वह तथाकथित साप्रयिकता का देश भर में ढोल पीटने वाले नेताओं की कान–खिंचाई भी है। उन्होने साहस के साथ कहा कि ऐतिहासिक तथा वैश्विक कारणों से मुसलमान या ईसाई बनने वाले भारतीय, यहाँ के इतिहास, यहाँ की परम्परा अदि से विमुख हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने भारतीय होने के बारे में भी प्रक्रिया कठिनाई से ही अनुभव कर पाते हैं। बौद्व बनने से केवल उपासना की प्रक्रिया ही बदलती है, परन्तु राष्टीयता, राष्ट्राभिमान आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । जबकि इस्लाम या ईसाई मतग्रहण करने से एक प्रकार व्यक्ति अराष्ट्रीय हो जाता है।, उसका अराष्ट्रीयकरण हो जाता है। अपने पीड़ित बंधुओ के उत्थान में भी उन्होने इस बात को ध्यान में रखा कि कहीं इस परिवर्तन के परिणामस्वरुप राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय एकात्मकता पर कोई आँच न आये ।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हें केवल निकट से देखने का ही नहीं, अपितु प्रत्यक्ष वार्तालाप एवं विचार–विनिमय का भी अवसर मिला। एक बार बातचीत में कश्मीर संबंधी उनके विशेष दृष्टिकोण का पता चला । वे कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए –इस मत के थे। उनका यह भाव हिन्दू और मुसलमान की सामाजिक मनोभूमिका से संबद्ध था उनका मत था कि कट्टर मुसलमान कभी किसी उस राष्ट्र का राष्ट्रीय नहीं बन सकता जहाँ शरीयत का कनून न चलता हो।

एक समय की घटना है। वे तब संविधान–सभा की ध्वज–समिति के सदस्य थे। एक बार बम्बई हवाई अड्डे पर एक प्रतिनिधि–मंडल उनसे मिलने गया प्रतिनिधि–मंडल ने प्रार्थना की कि वे ध्वज–समिति में अपने परंपरागत गेरुवे ध्वज को भारत का राष्ट्र–ध्वज बनने के लिए आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करें। प्रतिनिधि–मंडल ने इसके लिए एक गेरुवे रंग के झंडे का नमूना भी उन्हें भेट किया । श्रद्धेय बाबा ने ध्वज स्वीकार करते हुए यह सलाह दी कि मैं तो यह प्रस्तावित करुँगा परंतु इतने से काम नहीं बनेगा । इसके साथ साथ इस निमित्त बाहर बड़ा जन – आदोलन भी खड़ा करना होगा। तभी मेरे प्रस्ताव को बल ❒

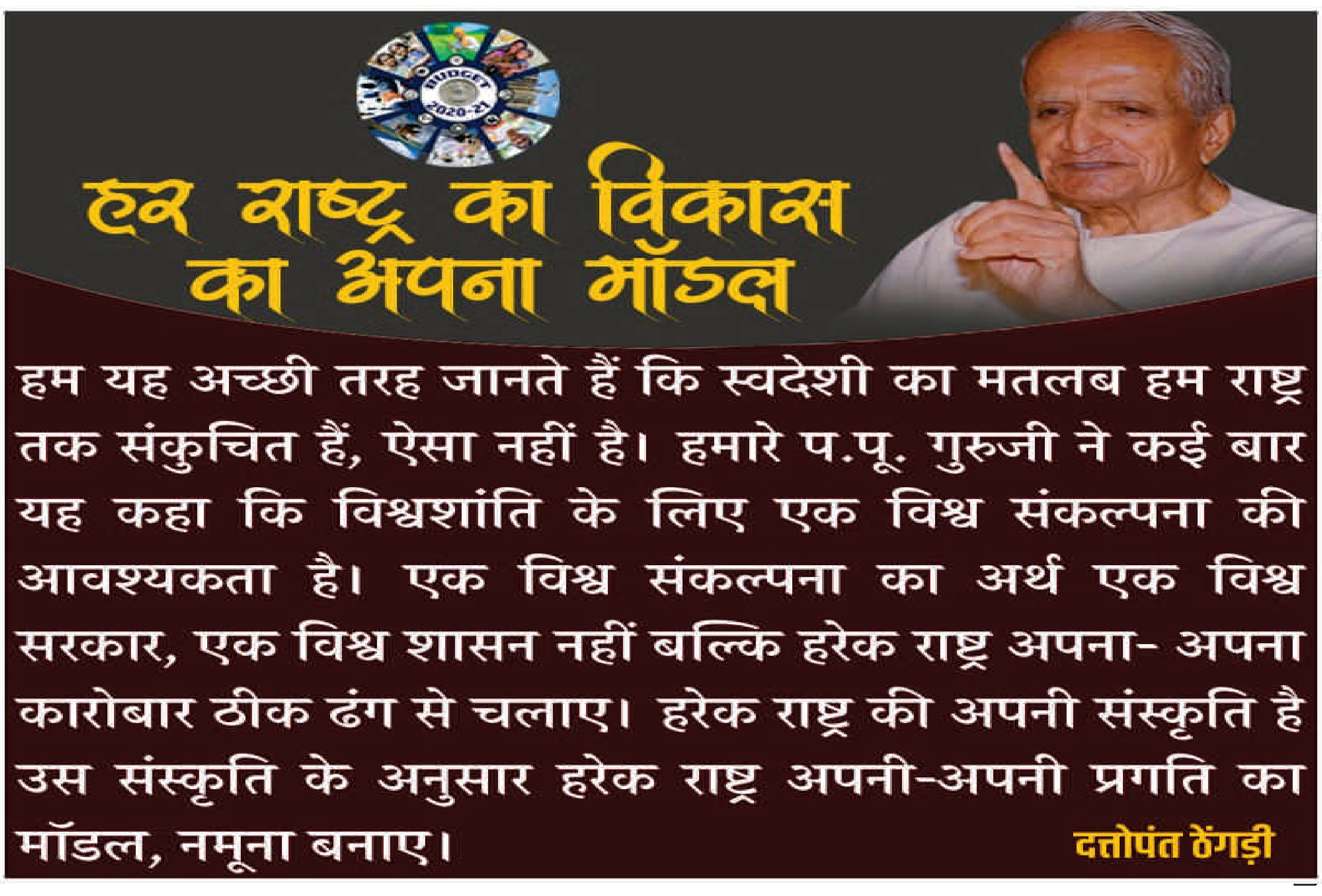

कविता

– *सभार*

अपने राजनीतिक जीवन में बेलाग भाषण और वाकचातुर्य के साथ मनभावन कविताओं से लोगों के दिलों में सम्मानीय स्थान हासिल करने वाले अटल की कविताओं में जीवन का संघर्ष साफ झलकता है। उनकी चुनिंदा कविताएं यहां आप पढ़ सकते हैं।

ऊँचे पहाड़ पर,
पेड़ नहीं लगते,
पौधे नहीं उगते,
न घास ही जमती है।
जमती है सिर्फ बर्फ,
जो, कफन की तरह सफेद और,
मौत की तरह ठंडी होती है।
खेलती, खिलखिलाती नदी,
जिसका रूप धारण कर,
अपने भाग्य पर बूंद–बूंद रोती है।
ऐसी ऊँचाई,
जिसका परस
पानी को पत्थर कर दे,
ऐसी ऊँचाई
जिसका दरस हीन भाव भर दे,
अभिनंदन की अधिकारी है,
आरोहियों के लिये आमंत्रण है,
उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं,
केवल ऊँचाई ही काफी नहीं होती
किन्तु कोई गौरैया,
वहाँ नीड़ नहीं बना सकती,
ना कोई थका–मांदा बटोही,
उसकी छाँव में पलभर पलक ही झपका सकता है।
सच्चाई यह है कि
केवल ऊँचाई ही काफी नहीं होती,
सबसे अलग–थलग,
परिवेश से पृथक,
अपनों से कटा–बँटा,
शून्य में अकेला खड़ा होना,
पहाड़ की महानता नहीं,
मजबूरी है।
ऊँचाई और गहराई में
आकाश–पाताल की दूरी है।
जो जितना ऊँचा, उतना एकाकी होता है
जो जितना ऊँचा,
उतना एकाकी होता है,
हर भार को स्वयं ढोता है,
चेहरे पर मुस्कानें चिपका,
मन ही मन रोता है।
जरूरी यह है कि
ऊँचाई के साथ विस्तार भी हो,
जिससे मनुष्य,
ठूँठ सा खड़ा न रहे,
औरों से घुले–मिले,
किसी को साथ ले,
किसी के संग चले।
धरती को ऊँचे कद के इंसानों की जरूरत है
भीड़ में खो जाना,
यादों में डूब जाना,
स्वयं को भूल जाना,
अस्तित्व को अर्थ,
जीवन को सुगंध देता है।
धरती को बौनों की नहीं,
ऊँचे कद के इंसानों की जरूरत है।
इतने ऊँचे कि आसमान छू लें,
नये नक्षत्रों में प्रतिभा की बीज बो लें,
किन्तु इतने ऊँचे भी नहीं,
कि पाँव तले दूब ही न जमे,
कोई काँटा न चुभे,
कोई कली न खिले।
न वसंत हो, न पतझड़
न वसंत हो, न पतझड़,
हो सिर्फ ऊँचाई का अंधड़,
मात्र अकेलेपन का सन्नाटा।
मेरे प्रभु !
मुझे इतनी ऊँचाई कभी मत देना,
गैरों को गले न लगा सकूँ,
इतनी रुखाई कभी मत देना।

❒

विचारदर्पण

– दत्तोपंत ठेंगडी

रामनरेश सिंह जी

हिन्दु शब्द का अर्थ

राष्ट्र के विषय में हमारा और उनका जो मतभेद है वह बहुत पुराना है। १९२५ में संघ के संस्थापक डा. हेडगेवारजी को इस विषय में बड़े आग्रह से कहना पड़ा था कि यह हिन्दू–राष्ट्र है । उस समय भी बड़े विवाद खड़े हुये थे। अब हिन्दू शब्द का अर्थ क्या है यह बात सर्वप्रथम समझने की आवश्यकता है। कुछ दिन पूर्व एक विदेशी पत्रकार ने संघ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से मुझ से कहा कि 'आप लोग जो हिन्दू रिलिजन लेकर चल रहे हैं.... । ' मैंने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि चर्चा करने के पूर्व आप यह बताइये कि हिन्दू रिलिजन क्या है ? और हिन्दू रिलिजन नाम का कौनसा रिलिजन है ? पत्रकार ने कहा कि वे विदेशी हैं अतः उन्हें ये सारी बातें विदित नहीं हैं। तब मैंने कहा कि रिलिजन की परिभाषा है

''Religion is relationship between a man and his maker'' अब इस बनानेवाले को कोई अल्लाह कहे, कोई भगवान् कहे, कोई जव्होवा कहे या स्वर्ग में रहनेवाला पिता कहे, किसी भी नाम से संबोधित करे परन्तु 'रिलिजन' मनुष्य और भगवान के बीच सम्बन्ध है । अतः 'रिलिजन' सर्वथा व्यक्तिगत बात है। हिन्दुओं ने सदा ऐसा ही माना है। इसलिए जैसे अन्य देशों में यह धारणा है कि सबका 'रिलिजन' एक होना चाहिए, हमारे यहां इसे अशास्त्रीय माना गया है। हमारे यहाँ तो यह कहा गया है कि सब का एक रिलिजन नहीं हो सकता है। यदि रिलिजन व्यक्ति और है भगवान् के बीच सम्बन्ध हैं तो प्रवृत्ति, रुचि, प्रकृति तथा शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर की विभिन्नता के कारण से व्यक्ति–व्यक्ति में भिन्नता होने से सबका एक ही रिलिजन कैसे हो सकता है ? इसलिए हमारे यहां सब के लिए एक किताब, एक मसीहा, एक रास्ता, एक अल्लाह, एक 'डायलेक्टिज्म' नहीं माना गया है।

हमारे यहां तो यह माना गया है कि जितनी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं उतने ही रास्ते हो सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उपासना की पूरी स्वतंत्रता है । हिन्दुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियाँ प्रचलित हैं। हमारे यहां तो यहाँ तक कहा गया है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिलिजन होना आवश्यक भी है। यद्यपि सबका गन्तव्य स्थान एक है तथापि दिशाएँ अलग अलग रहेंगी। जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में रहनेवाले व्यक्तियों को नागपुर में पहुंचना हो तो प्रत्येक को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, क्योंकि प्रस्थानस्थल भिन्न भिन्न है। सब के लिए एक दिशा बतलाना संभव नही है। इसी प्रकार हिन्दुसमाज में कितनी ही परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती हैं। भौतिकवादी तत्वज्ञान के जनक मार्क्स के कई शताब्दियों पूर्व हिन्दुस्तान में देवगुरु बृहस्पति ने 'असतो सत् अजायत' कह कर भौतिकवादी तत्वज्ञान का सूत्रपात किया तथा चार्वाक तक उसका एक सूत्रबद्ध तत्वप्रणाली के रुप में प्रभाव रहा। परंतु जब इस जड़वाद ने उपभोगवाद का रूप धारण कर लिया तब इसकी प्रगति रुक गयी।

अब यहाँ जो आध्यात्मिक विचार हैं उनमें द्वेतवादी, अद्वैतवादी आदि अनेक पंथ हैं। ईसाई मिशनरी जोन्स स्टॅन्ले ने अपने एक ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा है कि हिन्दुस्तान में उपासना की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहता है । यद्यपि कोई भूत–प्रेत–पिशाच को मानते हैं, कोई ऋपत्थर–पेड़ की पूजा करते हैं, तो कोई गंगा के किनारे बैठकर आत्मा–अनात्मा– परब्रह्म की चर्चा करते हैं, तो कोई गंगा के किनारे बैठकर आत्मा–अनात्मा– परब्रह्म की चर्चा करते हैं, तथापि सभी हिन्दू कहलाते हैं। इस बात का प्रस्तावना में उल्लेख करने के पश्चात् स्टॅन्ले अपने पादरी भाईयों को सावधान करते हैं कि – Beware of this Octopus of Hinduism] It may one day eat up your christ also. मैं समझता हूं कि हमारे राजनैतिक नेताओं की तुलना में जोन्स स्टॅन्ले ने हिन्दुओं को अच्छा समझा है। जब सभी प्रकार की उपासना पद्धतियों का हिन्दुओं को अच्छा समझा है। जब सभी प्रकार की उपासना पद्धतियों का हिन्दुओं में समावेश हो सका है तो और दो चार उपासना पद्धतियों को अपने में समा लेना उसके लिए कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, इस भय के कारण ही संभव है कि जोन्स स्टॅन्ले ने अपने पादरी भाइयों को हिन्दुओं से सावधान रहने की चेतावनी दी होगी।

विभिन्न धर्मों में विरोध नहीं है

वास्तव में रिलिजन के स्तर पर कोई झगड़ा खड़ा नहीं हो सकता है । विभिन्न मसीहाओं ने विभिन्न देशों में अपने अपने श्रोताओं की प्रवृत्तियों तथा परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर–मनुष्य के संबंध में चर्चा विभिन्न भाषाओं में की है, परन्तु सबका सार मनुष्य – ईश्वर के सम्बन्ध ही है

यदि ईसा मसीह ने कहा कि ''Glory be unto thy name 'तो हमारे यहां इसे द्वैत कहा गया है। ईसा मसीह का यह कथन कि ''I am in my father] he in you and youin me',

हिन्दुओं का विशिष्टाद्वैत है। उनका यह कथन कि ।and my father are one] I am the way] the truth and the life, हमारे 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' 'अहं ब्रह्मास्मि' तथा अद्वैत की ही प्रतिध्वनि है।

सब धर्मों का महा संघ–हिन्दुत्व

अब ऊपर के विचार हमारे विचारों में आ सकते हैं। क्यों कि हिन्दुओं में धर्म के बारे में कठमुल्लापन (Fanaticism) नहीं है। हमारे यहां तरह तरह के सम्प्रदाय हैं। हम तो तेहत्तीस करोड़ देवताओं के पूजक हैं। अब जिनके पूजागृह में – Sanctum sanctorum इतना प्रशस्त स्थान है उनके यहां एक अल्लाह या एक मसीहा को स्थान मिल जाना कठिन बात नहीं है। वैसे हिन्दुत्व कोई 'वाद' नहीं है। अब सुविधा के लिए उसका उपयोग किया तो उसका अभिप्राय सब धर्मों का संघ– The confederation of all religions including materialism है। मार्क्सवाद भी अब एक पूर्ण सम्प्रदाय बन गया है। एक ग्रंथ वें बंचपजंस, एक मसीहा मार्क्स, एका अल्लाह क्पसमबजपबपेउ आदि साम्प्रदायिक विशेषताएं उसमें पायी जाती हैं। सब सम्प्रदायों के लिए हमारा ॅदबजनउ ॅदबजवतनउ पवित्र पूजागृह खुला हैं । इसलिए हिन्दूधर्म के कारण जो साम्प्रदायिकता की बात उठाते हैं, वे हिन्दू को समझ नहीं पाये हैं। हिन्दू नाम का कोई सम्प्रदाय नहीं है हिन्दुओं के कई सम्प्रदाय है। संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी ने तो यहां तक कहा है कि जब दूसरे सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात कही जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन सम्प्रदाय है तथा दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखाई जा रही है। यह विचार गलत है। उन्होंने कहा है कि सब धर्मों के प्रति हमारे मनमें समादर की भावना है। मुसलमान कुरान पढ़ सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, धार्मिक नेता के नाते मुहंमद पैगंबर का स्मरण कर सकते हैं। ईसाई बाइबल पढ़ सकते हैं, गिरजाघरों में जा सकते हैं ।यहां सबको उपासना की स्वतंत्रता है । परन्तु यहां राष्ट्र एक है, जन एक है, संस्कृति एक है इस बात का कदापि विस्मरण नहीं होना चाहिए ।

साम्प्रदायिकता विरुद्ध राष्ट्रीयता

वास्तव में झगडा रिलिजन का नहीं है, तो झगडा इस बात का है कि रिलिजन और राष्ट्रीयता का अपना अपना न्यायोचित अधिकारक्षेत्र क्या होना चाहिए। यह झगड़ा हमारे कारण हमारे कारण नहीं है। जब रिलिजन अपने अधिकारक्षेत्र का अतिक्रमण करना है तब संघर्ष निर्माण होता है। अब यह संघर्ष हिन्दुस्थान में ही होता है ऐसी तो बात नहीं हैं । शत प्रतिशत इस्लाम मतावलम्बी देशों में भी यह संघर्ष हुआ है। मिस्र शत प्रतिशत इस्लाम मतावलम्बी देश है। वहां पहिले खिलाफत थी। जिस प्रकार ईसाई जगत पर पोप का अधिराज्य चलता था उसी प्रकार इस्लाम जगत् पर खलिफा का प्रभुत्व माना जाता था। बाद में खिलाफत टूट गयी। यह सर्व विदित है कि हिन्दुस्थान के मुसलमानों ने खिलाफत के पुनरुज्जीवन के लिए बड़ा प्रयास किया था और हिंदुओं ने स्वराज्य की लड़ाई में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की आशा से, उनकी सहायता की। अब जिस तुर्कस्तान में खिलाफत की गद्दी थी उसी ने उसके पुनरुज्जीवन का विरोध किया ।परन्तु हिन्दुओं ने उसके लिए बड़ा आग्रह किया। यहां से एक प्रतिनिधि मंडल तुर्कस्तान के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल पाशा से भी मिलने गया था। कमाल पाशा ने इस प्रतिनिधि मंडल को बताया कि वे खिलाफत का पुनरुज्जीवन नहीं होने देंगे। तब प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें समस्त मुस्लिम जगत् का खलिफा बनाने की लालच दिखाई। परन्तु पाशा जो कि एक राष्ट्रीय नेता थे, वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतिहास में यह एक बड़ा अद्‌भुत दृश्य देखने को मिलता है कि एक ओर तो हिन्दू खिलाफत के पुनरुज्जीवन के लिए अपनी अधिकारकक्षा के बाहर जाकर प्रयत्न कर रहे हैं और दसरी ओर मुसलमान राष्ट्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा उसे अस्वीकार कर रहा है। ❒

विचारदर्पण-2

– दत्तोपंत ठेंगडी

रामनरेश सिंह जी

मिस्र में राष्ट्रीयता का उदय

मिम में राष्ट्रीयता की जागृति के साथ प्राचीन इतिहास का अभिमान जाग उठा। जो फॅरोव्हा राजा थे, जिन्होंने प्रचण्ड पिरामिडों का निर्माण किया था उनके प्रति अभिमान की लहर दौड़ गयी तथा रास्तों, ग्रंथालयों को उनके नाम दिये जाने लगे और स्थान स्थान पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। परन्तु धर्मान्ध लोगों ने यह कह कर कि फरोव्हा राजा काफिर थे उसका विरोध किया। अब फरोव्हा राजा महंमद पैगंबर के कई शताब्दियों पूर्व हुए थे अतः उनका मुसलमान होना कैसे संभव था। तब नव जागृत राष्ट्रवादी मिस्रियों तथा धर्मान्ध मिस्रियों के बीच जोरदार

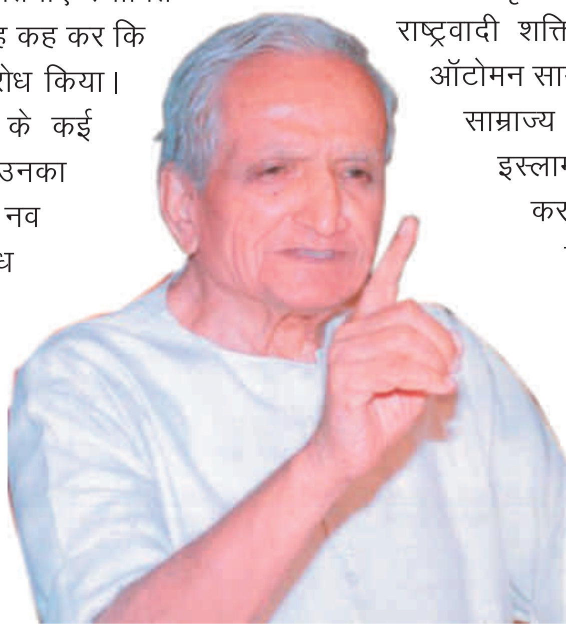

संघर्ष हुए। जब अफगानिस्तान में अमानुल्ला ने राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास किया तो मुल्ला मौलवियों ने घोर विरोध कर उसको कुचल डाला। क्योंकि अमानुल्ला उतने प्रभावशाली नहीं थे। जब इरान में भी इस्लाम के उदय के पूर्व के अपने पराक्रमी राष्ट्रपुरुषों–रुस्तम, पहेलवी, बहराम का

मिस्र में राष्ट्रीयता का उदय

मिम में राष्ट्रीयता की जागृति के साथ प्राचीन इतिहास का अभिमान जाग उठा । जो फॅरोव्हा राजा थे, जिन्होंने प्रचण्ड पिरामिडों का निर्माण किया था उनके प्रति अभिमान की लहर दौड़ गयी तथा रास्तों, ग्रंथालयों को उनके नाम दिये जाने लगे और स्थान स्थान पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। परन्तु धर्मान्ध लोगों ने यह कह कर कि फरोव्हा राजा काफिर थे उसका विरोध किया। अब फरोव्हा राजा महंमद पैगंबर के कई शताब्दियों पूर्व हुए थे अतः उनका मुसलमान होना कैसे संभव था। तब नव जागृत राष्ट्रवादी मिस्रियों तथा धर्मान्ध मिस्रियों के बीच जोरदार

संघर्ष हुए। जब अफगानिस्तान में अमानुल्ला ने राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास किया तो मुल्ला मौलवियों ने घोर विरोध कर उसको कुचल डाला। क्योंकि अमानुल्ला उतने प्रभावशाली नहीं थे। जब इरान में भी इस्लाम के उदय के पूर्व के अपने पराक्रमी राष्ट्रपुरुषों–रुस्तम, पहेलवी, बहराम का अभिमान जागृत किया तब भी विरोध हुआ था परन्तु वहां राष्ट्रवादी शक्ति की विजय हुई। तुर्कस्तान ने तो ऑटोमन साम्राज्य की ही नहीं तो इस्लाम के पूर्व के साम्राज्य की भी स्मृति जागृत रखी। उसने इस्लाम के नाम पर अरब राष्ट्रवाद को ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया। उसने बुर्का हटा दिया, पोशाख में परिवर्तन कर दिया, तथा तुर्की भाषा में कुराण का अनुवाद कराया । कमाल पाशा का मुल्ला मौलवियों ने घोर विरोध किया । भला कुराण का कहीं अनुवाद भी हो सकता है इस रुढिवादी धर्मान्ध मुल्ला मौलवियों ने कमाल पाशा का घोर विरोध किया । तब कमाल पाशा तथा उनके पथप्रदर्शन झिया गॉक आल्प (Ziya Gok Alp) ने उनका डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भगवान् इतना अनाडी नहीं है कि वह अरबी छोडकर अन्य भाषाओं में की गई प्रार्थना नहीं समझ सकता ।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि जिस दिन तुर्कस्तान में तुर्की भाषा में लिखा गया कुराण मस्जिदों में पढा गया उस दिन सारे देश में भीषण रक्तपात हुआ । वहाँ एक ओर इस्लामी को गलत ढंग से सार्वजनिक जीवन में लानेवाले लोग थे ते दूसरी ओर नवजागृत राष्ट्रवादी लोग थे । अव हमारे यहां के अजातीयवादी, अन्तराष्ट्रीयतावादी, अंतरिक्षसंचारी नेताओं से पूछा जा सकता है कि भाईयो ! तुर्कस्तान में कौनसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था ? फिर बताइये तो वहां भला दंगे क्यों हुए ! इस्लाम को माननेवाले मुस्तफा कमाल पाशा के मन में कुराण

और मस्जिद के प्रति नितान्त आदर था परन्तु वह उसे व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय मानते थे । उन्हें सार्वजनिक जीवन में धर्म का हस्तक्षेप होना अमान्य था ।

शतप्रतिशत इस्लामी देशों में राष्ट्रवाद के साथ इस्लाम का जो गलत अर्थ लगाया जाता है प्रवाह वास्तव में इस्लाम और उसके प्रेषित महंमद पैगंबर के साथ अन्याय है। वैसे राष्ट्रीयता और इस्लाम का मेल बैठ सकता है। महंमद साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान् ने हर एक जाति के लिए अपने अपने प्रेषितों का निर्माण किया है। परंतु इन बातों की ओर देखने का किसी को अवसर ही नहीं है । वे तो इस्लाम को केवल राजनैतिक सौदेबाजी का एक साधन बनाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद के विरोध में इस्लाम है इस प्रकार की भ्रामक कल्पना सामने रखी जाने के कारण ही मुस्लिम देशों मे दंगे–फसाद हुए हैं। इंडोनेशिया इस्लामधर्मी है परन्तु उसकी राष्ट्रीय संस्कृति हिन्दू है । जिस समय इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. सुकर्णो ने भारत के प्रधानमंत्री स्व.पं. जवाहरलालजी नेहरु को पत्र लिखा था कि 'हम आप के बड़े ऋणी हैं, क्योंकि आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका हम उपभोग कर रहे हैं।' इंडोनेशिया में मुसलमान बहुसंख्य हैं परन्तु वे श्री रामचंद्र को अपना राष्ट्रपुरुष मानते हैं। वहाँ रामलीला तथा महाभारत की कथाएँ होती हैं। इसके कारण वहाँ इस्लाम अपवित्र नहीं हुआ है ।

हम इस्लाम को मानते हैं इसलिए राष्ट्रीय संस्कृति को छोड़ देना चाहिए यह बात बिल्कुल गलत है। इस दृष्टि से हिंदुस्थान में जो संघर्ष है वह हिन्दू विरुद्ध मुसलमान न होकर, इस्लाम का न्यायोचित अधिकारक्षेत्र क्या हो इस बात पर है। राष्ट्रीयता का और इस्लाम के न्यायोचित अधिकारक्षेत्र का अपने यहाँ विचार करनेपर यह ज्ञात हो जाएगा कि इस राष्ट्र में हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। क्योंकि हिन्दू नाम का कोई धर्म नहीं है। यहाँ के निवासी सब हिन्दू है। क्या मुसलमान हिन्दू नहीं है ? ऐसे कितने मुसलमान हैं जो यहाँ अरबस्तान से आये हुए हैं ? ये सभी लोग यहीं के रहनेवाले थे। उनका जबरन धर्मान्तर किया गया। वे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी उपासनापद्धति पर चल सकते हैं। किन्तु साथ ही वे यह भी कहें कि वे इस हिन्दू परिवार के हिन्दूरक्त और खानदान के हैं। और राष्ट्र के नाते हिन्दू हैं। इस मातृभूमि के प्रति वही श्रद्धा रखें जो हमारे मन में है । इस देश के इतिहास के बारे में वही भावना रखें जो हमारे मन में है। इतिहास में मान–अपमान, उत्थान–पतन, वैभव – विपन्नता तथा सुख – दुःख के जो अवसर आते हैं उनके विषय में उनकी और हमारी अनुभूति एक होनी चाहिए। आज की परिस्थिति तथा भविष्य की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के विषय में उनके हमारे विचार, भाव एक होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब रिलिजन को नितांत व्यक्तिगत मान कर वे चलते हैं।

राष्ट्र एक इकाई

अपने यहाँ लोग हिन्दु–मुस्लिम एकता की बात करते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह होता है कि हिन्दुस्थान में एक से अधिक इकाईयाँ हैं । परन्तु हमारा कहना है कि सम्पूर्ण राष्ट्र एक इकाई है इस सत्य को ग्रहण कर चलने से सारे झगडे समाप्त हो जाएगे। ❐

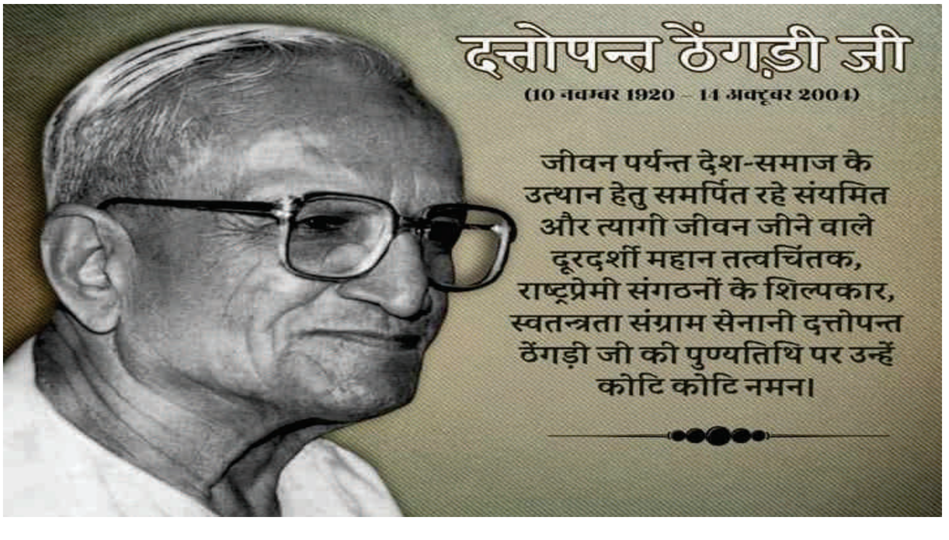

दत्तोपंत ठेंगड़ी

सभार -खण्ड 9 जीवन दर्शन

राष्ट्र निष्ठा

अपने समाज में भी मानवीय स्वभावों की प्रक्रियानुसार कुछ लोगों ने स्वयं ही जन्मजात बड़प्पन धारण किया था। अतः वे पिछड़े, अविकसित, निर्धन लोगों को निम्न या छोटे समझना अपना अधिकार मानते थे। ऐसे पाखंडी तथाकथित समाज सुधारकों की बाबासाहब ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना की तथा उनके तर्कों का जोरदार खंडन किया । उनकी इस आलोचना का स्तर देखकर ही उनकी कट्टर देशभक्ति तथा विद्वता का परिचय मिलता है।

इस दृष्टि से संविधान–सभा में 5 फरवरी 1950 को दिया गया उनका महत्त्वपूर्ण भाषण अध्ययन एवं मनन योग्य है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि '' भारत शताब्दियों बाद स्वाधीन हुआ है।'' हम केवल 150 वर्ष गुलाम थे – पं. नेहरू की यह मान्यता उन्हें पूर्ण रूप से अस्वीकार थी। अब इस स्वराज्य की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। अपने समाज में किसी प्रकार की फूट पुनः हमसे स्वराज्य को छीन लेगी। शताब्दियों की गुलामी के फलस्वरूप हममें कुछ विकृतियाँ ऊँच–नीच भेद, आर्थिक विषमता, जातिवाद आदि उत्पन्न हुए हो सकते हैं, परन्तु इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी हमारे स्वत्वों का अपहरण करना चाहेंगे तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। हम उनकी यह आकाँक्षा मिट्टी में मिला देंगे। यह हमारा घरेलू मामला है, इसलिए हम इससे आपस में निबटेंगे। अपने लाभ मात्र या सामाजिक दृष्टि से अनवत स्थिति से निकलने की इच्छा से हम विदेशियों के हस्तक नहीं बनेंगे। हमें अपने में उत्पन्न होने वाले जयचन्दों से सावधान रहना होगा। अपने जिस राष्ट्र व समाज के हम अंग–उपांग हैं, उसके हित को ठीक प्रकार से पहचानें।''

दो महापुरुष–दो दृष्टिकोण

पथभ्रष्ट, अहंकाररूढ़ सवर्ण हिन्दू बंधुओं के हृदय परिवर्तन करने का उन्होंने बहुत बहुत प्रयत्न किया। उन दिनों यह काम एक और भी महापुरुष अपने विशेष ढंग से कर रहे थे। वे थे पूज्य महात्मा गांधी । उनकी प्रामाणिकता, निष्ठा, असीम प्रयत्नशीलता तो उनके विरोधियों में भी शंका से परे थी। उन्होंने भी शब्द का नव मूल्यांकन करने के लिए स्वयं को भंगी बताया, उन्हीं के मुहल्ले–मकानों में ठहरना, खाना–पीना प्रारंभ किया। समाज के नासमझ स्वयंभू नेताओं ने जिन्हें अस्पृश्य कहा था, महात्मा जी ने उन्हें हरिजन कहा। यद्यपि भड़काने वाले निहित स्वार्थी नेता विद्यमान थे फिर भी इन दोनों महापुरुषों के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह दलित पीड़ित वर्ग विक्षुब्ध होते हुए भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहा। साथ ही इन महापुरुषों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही अपना विवेक न खोते हुए उतने अत्याचार सहे, पर अपने हिन्दू समाज के प्रति आत्मीयता में कमी न आने दी।

वैसे यह बात अलग है कि इन दोनों के विचार पूरी तरह आपस में न मिलते हों। डा. अंबेडकर हरिजन शब्द–प्रयोग के विरुद्ध थे। महात्मा जी की सदाशयता को स्वीकार करने के बाद भी वे अनुभव करते थे कि 'हरिजन' हीनता का ही दूसरा नाम है। 'हरिजन' नाम देने के लिए स्वर्ण अपने को सदैव उपकारकर्ता ही मानते रहेंगे। अतः परस्पर भेद तथा उच्च – नीचता की बात तो बनी ही रही। यह स्थिति अत्यन्त अपमानजनक है, ऐसा वे मानते थे। अतः उन्हें इस हरिजन नामाभिधान से अत्यन्त चिढ़ थी। महात्मा गांधी और डा. अम्बेडकर दोनों के प्रयत्नों का लक्ष्य समान होने पर भी भूमिका एवं प्रक्रिया (pproach) भिन्न थी। दोनों महान थे। परन्तु एक का प्रयास बाहर से था तो दूसरा स्वयं भुक्तभोगी होने के कारण स्वानुभव से उत्पन्न कसक से मर्माहत होकर प्रयत्नरत था ।

इतना होने पर भी श्रद्धेय बाबा साहब प्रतिक्रिया की भावना से सर्वथा अलिप्त थे। महात्मा जी का प्रयास मानवीय भावना से प्रेरित था। जैसे अमेरिका में नीग्रो लोगों के उद्धार के लिए किये जाने वाले प्रयासों में लिंकन का स्थान था। परन्तु डॉ. अम्बेडकर का प्रयास बूकर टी वाशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग के समान था । महानता में समान होने पर भी दोनों की भूमिका में उनकी स्वयं की भिन्न स्थिति के कारण अंतर था – वैसे ही भारत में भी दोनों की भावनाओं को मिले शब्दों के रूप में भिन्नता होने पर भी उनकी अपने समाज के प्रति समान आत्मीयता थी।

दृढ़ निर्णय

बाबा साहब अपने पीड़ित बंधुओं की दीनहीन स्थिति में परिवर्तन तो लाना चाहते थे, परन्तु अपने हिन्दू समाज में भी किसी प्रकार का विघटन उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे। वे एक ऐसे पंथ की कल्पना कर रहे थे जहाँ पीड़ित बांधवों को सामाजिक समानता तो मिले, पर साथ ही उनकी भारत –भक्ति भी अविचल बनी रहे। यह उनके चिंतन की दिशा थी। उनकी इस दुविधा को समझकर विविध पंथों के नेताओं ने उनके पास चक्कर काटना प्रारंभ किया। ईसाई पादरी,

मुसलमान मौलवी, बौद्ध भिक्षु आदि उन्हें घेरने लगे। पादरियों और मौलवियों ने तो अपनी परंपरा के अनुसार देशी – विदेशी सभी प्रकार के जोर आजमाना प्रारंभ किए। परन्तु उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बाबासाहब को आकर्षित न कर सकी।

मुसलमान या ईसाई बनने में उन्हें क्या आपत्ति है, यह उनसे पूछा भी गया। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ भी कहा वह जहाँ उनकी प्रखर राष्ट्रवादी दूरदर्शिता का परिचायक है, वहीं वह तथाकथित सांप्रदायिकता का देश भर में ढोल पीटने वाले नेताओं की कान – खिंचाई भी है। उन्होंने साहस के साथ कहा कि ऐतिहासिक तथा वैश्विक कारणों से मुसलमान या ईसाई बनने वाले भारतीय के मन–मस्तिष्क की दिशा बदल सकती है। वे भारत, भारतीयता, यहाँ के इतिहास, यहाँ की परम्परा आदि से विमुख हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने भारतीय होने के बारे में भी कठिनाई से ही अनुभव कर पाते हैं। बौद्ध बनने से केवल उपासना की प्रक्रिया ही बदलती है, परन्तु राष्ट्रीयता, राष्ट्राभिमान आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जबकि इस्लाम या ईसाई मतग्रहण करने से एक प्रकार से व्यक्ति अराष्ट्रीय हो जाता है।, उसका अराष्ट्रीयकरण हो जाता है। अपने पीड़ित बंधुओं के उत्थान में भी उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि कहीं इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय एकात्मकता पर कोई आँच न आये।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हें केवल निकट से देखने का ही नहीं, अपितु प्रत्यक्ष वार्तालाप एवं विचार–विनिमय का भी अवसर मिला । एक बार बातचीत में कश्मीर संबंधी उनके विशेष दृष्टिकोण का पता चला। वे कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए– इस मत के थे। उनका यह भाव हिन्दू और मुसलमान की सामाजिक मनोभूमिका से संबद्ध था। उनका मत था कि कट्टर मुसलमान कभी किसी उस राष्ट्र का राष्ट्रीय नहीं बन सकता जहाँ शरीयत का कानून न चलता हो ।

एक समय की घटना है। वे तब संविधान सभा की ध्वज–समिति के सदस्य थे। एक बार बम्बई हवाई अड्डे पर एक प्रतिनिधि–मंडल उनसे मिलने गया। प्रतिनिधि–मंडल ने उनसे प्रार्थना की कि वे ध्वज–समिति में अपने परंपरागत गेरुवे ध्वज को भारत का राष्ट्र–ध्वज बनने के लिए आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करें। प्रतिनिधि–मंडल ने इसके लिए एक गेरुवे रंग के झंडे का नमूना भी उन्हें भेंट किया। श्रद्धेय बाबा साहब ने ध्वज स्वीकार करते हुए यह सलाह दी कि मैं तो यह प्रस्तावित करूँगा परंतु इतने से काम नहीं बनेगा। इसके साथ साथ इस निमित्त बाहर बड़ा जन–आंदोलन भी खड़ा करना होगा। तभी मेरे प्रस्ताव को बल मिलेगा। बात करते–करते हवाई जहाज पर चढ़ते हुए उन्होंने प्रतिनिधि–मंडल के एक सदस्य श्री रा. ब. बोले की ओर देखकर हँसते हुए पूछा– क्यों जी, यह गेरुआ संसद् भवन पर किसी अस्पृश्य युवक ने फहराया तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी?'' उन्होंने अपना वचन निश्चित ही पूरा किया, परन्तु विशिष्ट परिस्थितिवश बाहर आवश्यक जन–आंदोलन खड़ा न किया जा सका और परिणामस्वरूप वह योजना सफल न हो सकी।

मिलकर रहें

डा. अंबेडकर जी के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पिछले दिन की बात है। 13–10–1956 के दिन नागपुर के श्याम होटल में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। सभा के संयोजक थे भारतीय बौद्धजन समिति के कार्यदर्शी बामनराव गोडबोले। सभा में चायपान की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी थी। अंबेडकर जी का अंतिम राजनीतिक भाषण भी उसी सभा में हुआ। उस दिन उन्होंने अपने अनुयायी लोगों का जो मार्गदर्शन किया था वह अत्यन्त मार्मिक था। उन्होंने कहा– आप लोग शायद धर्म से ज्यादा राजनीति से प्यार करते होंगे। ये सच है कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी ने दलित वर्ग में आत्म सम्मान की भावना प्राप्त की है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि इसने समाज के अन्य वर्गों के बीच में एक दीवार सी खड़ी की है। अब तो ऐसी स्थिति आयी है कि अन्य लोगों ने दलित वर्ग के लोगों को वोट भी नहीं दिया। यह अच्छी बात नहीं है। अपनी कमी की जानकारी रखने वालों के साथ मिलकर एक पार्टी का संगठन करना अधिक उपयुक्त है। हमारे लोगों को अन्य लोगों के साथ मिला कर काम करने का अभ्यास करना है।

धर्माधारित चिंतक

डॉ. अंबेडकर जी के सभी विचारों के मूल में निहित प्रेरणारूप धर्म ही था। मार्क्सवाद धर्महीनता के कारण उन्हें पसंद नहीं आता था। बौद्ध धर्म स्वीकारते समय उन्होंने कहाः–

मानव केवल रोटी के लिए नहीं जीता। उसका एक मन भी है। इस मन को भी विचारों का आहार चाहिए। धर्म मानव के मन में भरोसा भरकर उसे क्रियाशील बना सकता है। मैंने इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया है कि हिन्दू धर्म ने दलित वर्ग के उत्साही जीवन पर पानी फेर दिया। बौद्धमत देश काल के बंधन के बिना किसी भी देश में फूलता– फलता रह सकेगा। जिसे देश में मन के विचारों से अधिक पेट के विचारों को महत्त्व दिया गया हो, उस देश के साथ कोई संबंध नहीं चाहिए। ''

बाबा साहब के विचारों के मूल में शुद्ध भारतीयता थी। धर्म ही उसकी नींव है। उनका आग्रह इतना ही था कि धर्म सद्धर्म हो, अधर्म न रहे। भगवान बुद्ध, महात्मा कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले – ये ही उनके गुरु थे। विद्या, विनय, शील ही उनके आराध्य देव थे। ऐसे मानसिक उत्कर्ष वाले नेता हमारे बीच पैदा हुए, वह हमारे सौभाग्य की बात है।

❐

Bharatiya Mazdoor Sangh (DELHI)

BMS COMMENTS ON LABOUR CODES

BMS Comments on the Code on Wages, 2017

(Submitted regarding the bill pending before the Parliamentary Standing Committee on Labour)

The following are the comments of Bharatiya Mazdoor Sangh on the LABOUR CODE ON WAGES BILL, 2015 which proposes to repeal and replace four most important laws for the workers viz. (1) The Payment of Wages Act, 1936, (2) The Minimum Wages Act, 1948, (3) The Payment of Bonus Act, 1965 and (4) The Equal Remuneration Act, 1976. The most important wage law, the present MW Act was presented by none other than DrAmbedkar in 1948.

The wage Codehas beneficial provisions like:

1. Codification of labour laws is a welcome move.
2. The present shortcomings to the wage laws have been removed viz. Lack of universal application, applicable only to certain scheduled sectors, different wages to different sectors and different jobs in the same sector etc.
3. The Wage Code can be termed historical since the last worker in the evit unorganised sector in the country is brought under minimum wages and payment of wages law under the Code.
4. Wages are to be paid in the bank account of the employee, which will make the transaction transparent. 5. Worker and Trade union are given the right to file criminal complaints which the old laws did not provide.

Objections to Wage Code:

1. There are contradictions between the Codes in naming whether worker or employee, Tribunal or Court, the definition of Wage, industrial dispute etc.
2. 2(d) In the words "Major port" the word "major" should be deleted so that all ports are covered to come under Central Govt. as "appropriate Govt". Minor pports to the extent of 117 are covered under the Sagarmala project of Central Govt. They should not be excluded from the purview of the Code.
3. In Sc.2 (j), the apprentice or traineesare to be added under the definition of XJOS 29p6W no abo2 employee.
4. 2 (j)& (y)- "Highly skilled" also should be added to the definition of "employee" as well as "worker".
5. Sc.2(m)- 'Inspector' is replaced by 'facilitator'. If corruption among inspectorate is the reason for doing so, it has to be addressed differently and not by eliminating the system itself. Facilitator inspecting according to prior web-based schedule, their role as advisor to the employers, giving 21 JDA 25 opportunity to the employer before prosecution etc. are objectionable. They will only encourage unscrupulous employers. Non-unionized workers and workers in small establishments totally subjected to exploitation.
6. 2(q)- There is no need to have a separate definition on "industrial dispute" under the Wage Code apart from that in the ID Act.
7. Sc.2(u) & 3-In the application of "Same work or work of a similar nature", net contract labour also to be included.
8. Sc 2(x)-proviso Commission also should be included in the definition of "wages".
9. Sc.2(y)- Employed mainly supervisory or managerial or administrative capacity are exempted from the category of work.
10. 2(y) apart from Journalists, electronic media also should be included in the definition of "worker'. They are not at present covered under Working journalist law.
11. Sc.7 & 9- As in the new laws, the Code which is trying to shift the burden of all social sector issues to State Government is highly objectionable. Otherwise, there will be different rates of minimum wages in different states.
12. Sc.8(2)- In tripartite fora, instead of Government, independent persons.
13. Sc.13-Appropriate Government may fix the number of hours of work for Horgetting minimum wages.
14. Sc.18(4)- Where the total deductions authorised under sub-section (2) exceed dre fifty per cent of the wages, the excess may be recovered in such manner, as Me may be prescribed. This comes under the bonded labour law.
15. Sc.20(2) proviso- The new clause of 'dies non' introduced in the wage code that anyone joining a

strike called by a trade union will lose per day eight prdays wages. It is a black law against freedom of trade unions. 16.Sc.26(1)- For Bonus, drawing wages not exceeding such amount per mensem bras determined by notification by the appropriate Government. This limit to be affixed also is to be tabled before Parliament sincethe public discussion is as needed.

17. Sc.26 (5)- The maximum ceiling fixed as 20% for bonus obtained by collective bargaining, settlement, award etc. is to be removed.
18. In Sc.29, dismissal mentioned can be only after due enquiry.
19. Sc.30 Proviso- separate balance sheet should not be a criterion for treating that department or establishment as separate. It will create technically smaller establishments to remove the applicability of labour laws.
20. Sc.31(2) & (3)- Bonus cannot be based on the balance sheet as it does not reflect the real profit and loss. Many companies are having A-account and B- account.
21. Sc.41- Exemptions are also objectionable in the proposed Code.
22. Sc.41(2)- Limiting the applicability of the Bonus provisions only to establishments of twenty or more workers is also an anti-worker provision. When the Code proposes to apply to all workers, there is no justification that the benefit of bonus is denied to workers with less than 20 in number.
23. In Sc.50, apart from other records, every worker shall be issued with salary slips, every month, containing all details of salary earned by the worker, (basic, D.A. etc.), number of days of attendances, deductions, if any with details there on, has to be added.
24. Sc.55- The removal of deterrent imprisonment and adding provision for compounding will help the exploitation of workers.
25. Many of the demands of BMS as well other Trade Unions are not incorporated. For example:

    Sc.7 & 9- Provision for a National Minimum Wage in the real sense.The Code says different national minimum wage may be fixed for different States or different geographical areas. Variance in MW from state to state 300g is one major reason why many important industries are being closed down pipis and shifted to other states where minimum wages are very low. Absence of a National Minimum Wage is also one major impediment for increasing gran the wage level of the workers in the country.

1957 ILC decision, Supreme Court decision in Raptacos Brett case and 3 liability under new legislations like maintenance and welfare of parents and senior citizens act should be included in the new Code for the purpose of calculating wages and DA.Variable D.A. component should be linked with the basic wages.

BBMS Comments on the Revised 3rd Draft of the Labour Code on Social Security and Welfare Bill, 2019

Good Provisions in the previous Draft missing in New Draft- They are to be reinstated

1. On 1st draft, BMS had given detailed objections, but no substantial change was brought about. Again we have given detailed objection on the second draft. Now the new draft changed the entire earlier two drafts and had brought a new draft that is merely a cut and paste of about 14 social security laws. Even though the area covered by the code are wide and need drastic pro labour changes, nothing has been incorporated.
2. The new draft cannot be called a code since it has left out a sizeable portion of workers. Provisions are not uniformly applicable to all workers. In the first two drafts, BMS has suggested to give all the 14 benefits up to the last worker in the country. BMS has passed the resolution of Social security for all' in its Jaipur National conference. That concept has been omitted in the new draft. Hence the Code has become purposeless. Hence it is neither comprehensive nor revolutionary nor historical. The whole exercise has now become futile.
3. Concept of giving about 14 benefits also has been scattered between different categories.
4. The recommendation of 2nd NCL to form a National SS Council with PM as its Chairman also has been removed, and its significance had been reduced.
5. 25- The previous draft says even if the employer defaults payment, the worker will not be denied benefits. It is incorporated in the new draft.
6. 70.3-The previous draft says even if contribution not paid, the worker will not be denied benefits. It is missing in the new draft.
7. The previous draft says that even after retirement, the worker will not be denied benefits. It is missing in the new draft.
8. 33.1- Principal employer's liability to pay

contribution of contract employees of the previous draft also is missing. In the present draft, Sc.33.1 liability is only for Maternity, gratuity and compensation.

9. Coverage to brothers and sisters etc. in "family" of the previous draft is also missing.
10. Workers are given the right for Social Security coverage, which is also missing.
11. 6-There is a highly beneficial separate gratuity fund in the previous draft which is withdrawn. It should be reinstated. Moje bas about rod to nepram 793 bns 123 12. The govt subsidises the contribution for SEC IV, the most economically backward workers, which is also missing.

Other Objectionable Provisions

1. All committees should be strictly tripartite in ILO model with trade union representation in all committees as 1:1:2.ESI and EPF are running well because of 10 trade union members each. But Building construction board has only an advisory board, so it had poor performance.
2. 3, 22.1- Employer liability has to be totally removed.
3. 72.3-Administrative charges are higher with 5%.
4. 6, 46- Exemption regime has to be removed.
5. 5.2- Gratuity at the rate of 15 days should be increased to 30 days.
6. 5.3- Limit to gratuity payable should be removed.
7. Our existing Social Security laws are a Security laws are associated with many flaws which require basic changes. Eligibility criteria of length of service and age of workers, infancy s of area, sector, the threshold period system of the establishment, restrictions limit of number of employees, wage limit, exclusion clause, monitory ceilings both in the application and payment of benefits etc. are the current hurdles in the benefits reaching the beneficiaries. They are to be specifically rectified.
8. 2.1, 57- Name of inspector has been changed to the facilitator, which is a fisib wen arti ni prieeim al 11.2iñened bainst violation of ILO Convention C81.
9. The definition of the organised sector and unorganised sector defined based on the threshold is wrong. Those who have no protection of any of the conventional labour laws are to be called unorganised and the others as organised sector.
10. The age-old threshold system should be removed. Every worker should get the protection of the new code as in the labour code on wages.ne vudsig imate 24.7- Funeral benefit of Rs. 5000 is very low.

We welcome the withdrawal of the Anti-worker provisions in the previous drafts

1. ESI and EPF merger- of both funds and staff will lead to cross-subsidy and failure of the existing system.
2. Funds are divided among states.
3. States running ESI hospitals is a failure in many places. SC had intervened when states diverted funds of Building Construction welfare scheme.
4. Government contribution not provided. Budget allocation and subsidising is required for needy sectors.
5. 2.46-Self-employed workers have to pay 20%, which was very high.
6. Privatisation in the name of inducting intermediate agencies.
7. Committee vice chairman a bureaucrat.
8. The employer should include household etc. also of the previous draft.
9. Surakshamitram to assist from enrolment up to disbursal of benefits is missing.
10. Social assistance by Government missing.
11. Separate Social security service to be formed is missing.

Other Welcome Provisions

1. 10.3- Retaining maternity benefit for 26 weeks is a welcome move.
2. 24.5- Reimbursing medical expenses is a welcome move.
3. 6.3-It is welcome that Compulsory registration of all units where even one worker is working will formalise the informal sector. This is also retained. This is apart from registering the unorganised sector worker.
4. 2.53- It is welcome that wages should not be less than minimum wages for all, is welcome.
5. 67-It is welcome that the concept of facilitation centres of the previous draft at local body level is retained.
6. 68.3-It is welcome that migrants are benefitted by the portable number, is retained.

Hence the new Draft needs to be redrafted to include all those points which were sil beneficial to the workers in the previous draft, remove those which are anti- worker and include those which were discussed and suggested.

❐

सत्यमेव जयते

Government ORDERS

11/1/2025-P&PW(H)-VIII, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare, Deted 31-10-2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 11/15/2022-P&PW(H)- 8363(II) dated 30-10-2024 regarding clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government Pensioner..

2. Rule 50 (15) of the CCS (Pension) Rules, 2021 provides that as soon as a Government servant enters Government service, he shall give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings (whether or not eligible for family pension). This Rule further provides that the Government servant shall submit the up to date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service.

3. References were received seeking clarification in respect of deletion of name of the daughter from the details of family members after retirement of the Government servant.

4. It has been clarified by this Department vide OM No. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942 dated 07-10-2022 that the Government servant/pensioner shall submit details of all member of family whether or not eligible for family pension. The daughter is deemed to be a member of the family of Government servant as and when intimated by the Government servant in the prescribed proforma. Hence, the name of the daughter shall remain included in the details of family members. The eligibility for family pension would be decided after demise of pensioner/family pensioners in accordance with the existing rules.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance. ❐

11/1/2025-P&PW(H)-VIII, Government of India, *Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners' Welfare, Dated 31-10-2025*

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 11/15/2022-P&PW(H)- 8363(II) dated 30-10-2024 regarding clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government Pensioner..

2. Rule 50 (15) of the CCS (Pension) Rules, 2021 provides that as soon as a Government servant enters Government service, he shall give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings (whether or not eligible for family pension). This Rule further provides that the Government servant shall submit the up to date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service.

3.References were received seeking clarification in respect of deletion of name of the daughter from the details of family members after retirement of the Government servant.

4.It has been clarified by this Department vide OM No. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942 dated 07-10-2022 that the Government servant/pensioner shall submit details of all member of family whether or not eligible for family pension. The daughter is deemed to be a member of the family of Government servant as and when intimated by the Government servant in the prescribed proforma. Hence, the name of the daughter shall remain included in the details of family members. The eligibility for family pension would be decided after demise of pensioner/family pensioners in accordance with the existing rules.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance. ❐

No. 1/1(90)/2024-P&PW(E)-Part(1)/10344, Government of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions /Department of Pension & Pensioners' Welfare Dated 27th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding Enhanced Rate of Family Pension Death after Retirement cases - reg.

Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW) has been receiving few references/RTI applications etc. seeking information / clarification regarding Enhanced Rate of Family Pension after death of government employee after retirement.

2. In this connection, it may be stated that as per Rule 50(2)(a) (iii) of CCS (Pension) Rules, 2021, the family pension after the death of Government employee is granted to the eligible family members of the employee at enhanced rate as under:

"(2)(a)(iii): In the event of death of a Government servant after retirement, the family pension shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of sixty-seven years had he survived, whichever is less.

3. There are some references seeking clarification on the calculation of this period where the age of retirement is more than 60 years like the age of retirement of Central Health Service (CHS) doctors is 65 years and the officer retires at the age of 65 and dies unfortunately before 67. It is clarified that the provisions of Rule 50 (2)(a)(iii) is applicable in all cases i.e. whether the retirement age is 60 or 65 years. In all such cases, the enhanced family pension is payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of sixty-seven years had he survived, whichever is less. ❒

No. 1/1(33)/2024-P&PW(E)/9629, Government of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions gint cu far/ Department of Pension & Pensioners' Welfare, Dated 27th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject Settlement of Family Pension between two wives of a Government Servant or Pensioner under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated 10.10.2024. As stated earlier, the Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50 (6) of the CCS (Pension) Rules, 2021, the family pension shall be payable to the members of the family of the deceased Government servant or pensioners in the following order.

(i) Subject to provisions of sub-rule (8), widow or widower, (including a post-retiral spouse and judicially separated wife or husband).

(ii) Subject to provisions of sub-rule (9), children (including adopted children, step children and children born after retirement of the pensioner).

(iii) subject to provisions of sub-rule (10), dependent parents (including adoptive parents) of the deceased Government servant or pensioner,

(iv) subject to provisions of sub-rule (11), dependent siblings (i.e. brother or sister) of the deceased Government servant or pensioner, suffering from a mental or physical disability.

3. Whereas the Explanation to Rule 50(6) (1) of the CCS (Pension) Rules, 2021 states that - For the purpose of this rule 'widow' and 'widower' shall mean a spouse, legally wedded to the deceased Government servant or the pensioners.

4. Whereas Rule 50(8)(c) of the CCS (Pension) Rules, 2021 states that-

Where the deceased Government servant or pensioner is survived by more widow than one,. the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9).

5. The position with reference to the legality of marriage / spouse was clarified. However, this Department still receives many references seeking clarification on these points. In order to avoid time in decision making, the rule position is re-iterated. Having second wife when the first wife is alive is against the provisions of Hindu Marriage Act, 1955 and also contradictory to the provisions of CCS (Pension) Rules, 2021. For the administrative authority, it is very important to have application of mind while examining such cases and interpreting the Rules. For any disputes arising out of them, the replies / briefs for the tribunals courts need to be suitably prepared in accordance with the provisions of CCS (Pension) Rules and extant guidelines.

6. All Ministries/Departments are requested to follow the process of consultation with Department of Legal Affairs before arriving at decision regarding Settlement of Family Pension between two wives under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021. Such cases must be brought to the notice of the officer dealing with the pensioners' benefits in the respective Ministry/ Department by the attached/subordinate offices etc. ❒

No. 2/8/2025-P&PW(F)/11164, Government of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions pantur farm/ Department of Pension & Pensioners' Welfare, Dated 24th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding eligibility for payment of gratuity to the Central Government Servant under Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 on resignation.

Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW) has been receiving various references/RTI applications etc seeking information / clarification regarding eligibility for payment of gratuity to the Central Government Servant under NPS on resignation.

2. The Rule position with reference to the government employees covered under the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 is as under:

Rule 22 - Regulation of Retirement Gratuity and Death Gratuity:

22. Retirement gratuity or death gratuity. - (1) A Government servant, who has completed five years' qualifying service and who, -

(i) retires on attaining the age of superannuation, or on invalidation, or

(ii) retires or is retired, in advance of the age of superannuation in accordance with rule 56 of the Fundamental Rules, 1922 or rule 12 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021; or

(iii) on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme relating to voluntary retirement of surplus employees; or

(iv) on has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall, on his retirement, be granted retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16½ times the emoluments.

Rule 17: Forfeiture of service on resignation:

(1) Resignation from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails forfeiture of past service.

(2) A resignation shall not entail forfeiture of past service if it has been submitted to take up, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent, under the Government where service qualifies.

(5) A resignation submitted for the purpose of rule 32 shall not entail forfeiture of past service under the Government.

Rule 32 Benefit on absorption in or under a corporation, company or body:

(1) A Government servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and, subject to sub-rule (4), he shall be eligible, on such absorption, to receive retirement gratuity on the basis of the qualifying service and emoluments on the date of absorption in accordance with rule 22

3. It is observed from the above that retirement gratuity after completing of 5 years' of service is applicable only on retirement as detailed in Rule 22 above. It is also clear that resignation [(except technical resignation as mentioned under Rule 17 (2) above or deemed retired / absorption as mentioned in Rule 17(5) and Rule 32 above)] forfeits past services and no gratuity is payable in such cases.

4. The contents of this Office Memorandum may please be given wide publicity and brought to the notice of all concerned. ❐

Government of India, Ministry of Defence,Department of Defence Production Directorate of Ordnance (C&S), Date: 08.10.2025

Sub:-OTA - various MP High Court Judgment -Reg.

Ref:-Hon'ble CAT Order dtd.24.03.2025 & High Court Order dtd.04.09.2025.

With reference to the above, common order dtd. 24/03/2025 passed by the Hon'ble CAT, Jabalpur in the matter of Granting of Over-Time Arrear payment. Hon'ble CAT has allowed OAS with direction that the "all OAS are disposed of directing counsel for respondents to hand over a copy of proforma affidavit to the counsel for the applicants, which shall be filled up by the applicants duly endorsing from 1st class Magistrate or Notary and shall be submitted."

The Hon'ble CAT order dated 24/03/2025 had challenged before Hon'ble High Court of MP Jabalpur which was dismissed on 04.09.2025.

DOO(C&S) Kolkata has directed vide letter dated 22/09/2025 to comply the Hon'ble CAT Order dated 24/03/2025. As per directive of CAT order respondent's Advocate has handed over Proforma Affidavit to Applicants counsel which is enclosed for ready reference.

BEFORE THE NOTARY AT JABALPUR
AFFIDAVIT

(i) I Shri/Smt ....Son/Daughter of Aged......Residing at ....do hereby solemnly affirm and declare as follows:
That I am was an employee of (Factory Name)...........................working in the capacity of (Design.)...................... bearing P.No................... Section ....
(ii) That I am/was one of the applicants/members of the applicant's Union/Association who filed OA No ....before the Hon'ble CAT Jabalpur Bench.
(iii) That I humbly submit that as per the order dated 24.03.2025 passed by the Hon'ble CAT Jabalpur Bench in aforesaid OA, the benefit of inclusion of HRA,TA,SFA while calculating OTA provisionally due from the admissible dates in terms of the decision may kindly be extended to me for the period of service rendered by me in IE/NIE/NGo category at ....(Factory Name)
(iv) That I Shri/Smt...........................hereby undertake that:-
(a) Any amount which will be paid to me provisionally on the ground of inclusion of HRA,TA, and SFA in overtime allowance is subject to outcome of the decision in SLP Nos 12845 to 12852 of 2012 and as per common order passed by the Hon'ble Tribunal in various OAs on the matter.
(b) I shall be bound to refund the entire amount (for the portion of overtime allowance based on the calculation of HRA,TA, and SFA) which will be paid to me if the decision in SLP No. 12845 to 12852 of 2012 and common order passed in the various OAs No. .... shall not permit inclusion HRA,TA and SFA in overtime allowance.
(c) The competent Authority shall have right to recover the entire refundable amount from my salary or from my retirement benefit/Pension/Family pension, Gratuity and any payment due to me in case of my retirement or death (as applicable as per extant rules in the matter), if not refunded by me and my family members.
2. That the statement made in Para (i) & (ii) are true to my knowledge and belief and para (iii) is my humble submission and Para (iv) is my undertaking and I have not suppressed any material fact.
(*) Strike out which is not applicable.
Verified at ....day of 2025
Date:-
Place:-Jabalpur
Deponent Identified by me.

No. 1(5)/2023/EGoM/Deemed Deput./OF/DP(M&P), Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Production Management & Policy Division, dated 4-11- 2025

Office Memorandum

Subject: - Extension of deemed deputation period of employees of erstwhile Ordnance Factory Board (OFB) in 7 new Defence Public Sector Undertakings including transfer of employees (Group A, B & C) at Directorate of Ordnance (Coordination & Services) under DDP.

The undersigned is directed to refer to OM No. 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/02 dated 24th September, 2021 of this Department issued pursuant to the decision of the Cabinet dated 16.06.2021 to convert the production units of OFB into 7 Defence Public Sector Undertakings (DPSUs). Accordingly, the employees of ertwhile OFB (Group A, B Et C) belonging to the 41 production units and also the identified non-production units were transferres en masse to the new DPSUs on terms of foreign service without any deputation allowance (deemed deputation) and the employees of erstwhile OFB at OFB HQ (at Kolkata), OFB new Delhi Office, Of Schools and OF Hospitals were transferred en masse to the Directorate under DDP, initially for a period of two years from the Appointed Date i.e. 01.10.2021, which was extended for one year upto 30.09.2024 vide DDP Office Memorandum No. 1(5)/2023/EGoM/OF/DP(M&P) dated 08.08.2023 and further upto 31.12.2025 vide DDP Office Memorandum No. 1(5)/2023/EGoM/Deemed Dept./OF/DP(M&P) dated 09.09.2024 on same terms and conditions as issued earlier vide DDP OM No. 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/02 dated 24.09.2021. The extended period is expiring on 31st December 2025.

2.1 To extend the period of deemed deputation of all the employees of erstwhile OFB (Group A, B & C) to 07 new DPSUs including transfer of all employees (Group A, B & c) at Directorate of Ordnance (Coordination & Services) under DDP upto 30th September, 2026 w.e.f. 01st January 2026, on same terms and conditions as issued earlier vide OM No. 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/02 dated 24.09.2021.

2.2 The process of finalisation of common terms of absorption, consultation with stakeholders & seeking option for permanent absorption by 07 new DPSUs is required to be completed within this extended time frame.

❒

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CG-DL-E-03112025-267353, EXTRAORDINARY, PART I—Section 1, NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947, Ministry Of Finance, (Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd November, 2025

F. No. 01-01/2025-E.III(A).—The Government of India have decided to appoint the Eighth Central Pay Commission comprising of the following:-

1. Chairperson - Smt. Justice Ranjana Prakash Desai
2. Member (Part-Time) - Prof. Pulak Ghosh
3. Member-Secretary - Shri Pankaj Jain

2. The terms of reference of the Commission will be as follows:-

a) To examine and recommend changes that are desirable and feasible in the emoluments including pay, allowances, and other facilities/ benefits, in cash or kind, having regard to rationalization, contemporary functional requirements and the specialized needs of various Departments, agencies and services in respect of following categories of employees:

(i) Central Government employees — industrial and non-industrial;
(ii) Personnel belonging to the All India Services;
(iii) Personnel belonging to the Defence Forces;
(iv) Personnel of the Union Territories;
(v) Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
(vi) Members of the regulatory bodies (excluding the RBI) set up under the Acts of Parliament;
(vii) Officers and employees of the Supreme Court;
(viii) Officers and employees of the High Courts whose expenditure is borne by the Union Territories;and
(ix) Judicial officers of the subordinate courts in the Union Territories.

[Note: In respect of judicial officers, the Commission shall adhere to the principle enunciated by the Supreme Court in its Judgement dated 24th August, 1993 in All India Judges' Association and Others V/s Union of India and Others, viz. that there shall be no link between service conditions of judges and administrative executive and that the service conditions of judges have to meet the special needs of the judiciary].

(b) To work out an emolument structure conducive to attracting talent to Government service, promoting efficiency, accountability and responsibility in the work culture.

(c) To examine the existing schemes of bonus with a view to improving performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters, productivity and performance linked parameters for an appropriate incentive Scheme to reward excellence in productivity and performance.

(d) To review the existing allowances and conditions of their admissibility and recommend their rationalization keeping in view the multiplicity of allowances.

(e) (i) To review the Death-cum-Retirement Gratuity of employees borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon.

(ii) To review the Death-cum-Retirement Gratuity and pensions of employees not borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon keeping in view Para f(iii) below.

(f) To make recommendations on the above, keeping in view:

(i) The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence;
(ii) The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures;
(iii) The unfunded cost of non-contributory pension schemes;
(iv) The likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments which usually adopt the recommendations with some modifications; and
(v) The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of Central Public Sector Undertakings and private sector.

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisors, Institutional Consultants and Experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

4. The Commission will have its headquarters in Delhi.

5. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.

❒

BPMS organized study class for JCM-I, JCM-II, & JCM-III at Parasuit Sadan Kanpur (HQ)

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 30 OCTOBER 2025 MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

TCL group of factory union protest against OT arrears

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 ● Mob. : 9839223650